प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 15.03.2025

थाना मुरादनगर पुलिस द्वारा चोरी के अभियोग में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे चोरी की कार बरामद ।

दिनांक 17.11.2024 को थाना मुरादनगर पर वादी द्वारा तहरीर दी गयी कि अज्ञात चोर द्वारा वादी की कार पैरीफैरल हाईवे दुहाई पुल के नीचे से चोरी कर ले जाना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मुरादनगर पर तत्काल धारा 303 (2) बीएनएस में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा घटना के अनावरण हेतु पुलिस टीमों का गठन किया गया।

आज दिनांक 15.03.2025 को थाना मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त घटना का अनावरण करते हुए घटना कारित करने वाले अभियुक्त शोएब पुत्र नवाब निवासी ग्राम चमरावल थाना चान्दीनगर जिला बागपत उम्र करीब 19 वर्ष को नवीपुर पुलिया खोके के पास से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से उपरोक्त चोरी की कार बरामद हुयी। उक्त बरामदगी के आधार पर उपरोक्त अभियोग में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गई। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण -

अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि यह कार मैंने और मेरे अन्य साथी ने कुछ महीने पहले पेरिफेरल पुल के नीचे मुरादनगर से चोरी की थी आज मैं इस गाडी को बेचने के लिये गाजियाबाद जा रहा था कि पुलिस चैकिंग मैं पकडा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

शोएब पुत्र नवाब निवासी ग्राम चमरावल थाना चान्दीनगर जिला बागपत उम्र करीब 19 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरुद्ध उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में थाना मुरादनगर पर चोरी का 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

बरामदगी का विवरण-

चोरी की कार बरामद।

गिरफ्तारी एवं बरामदगी करने वाली टीम-

थाना मुरादनगर पुलिस टीम।

थाना टीलामोड़ पुलिस टीम द्वारा हत्या की घटना कारित करने वाला एक वाँछित अभियुक्त गिरफ्तार।

कार्यवाही का विवरण:- दिनांक 14.03.2025 को थाना टीलामोड़ अंतर्गत कंट्रोल रूम के माध्यम से एक सूचना प्राप्त होती है कि डिफेंस ग्राउंड थाना टीलामोड़ में एक महिला का शव पड़ा है। इस सूचना पर तत्काल थाना टीलामोड़ पुलिस मौके पर पहुंचती है और शव को कब्जे में लेती है। शव की शिनाख्त की गई तो ज्ञात हुआ कि इस महिला का नाम रेनू शर्मा पत्नी अनिल

शर्मा जोकि थाना टीलामोड़ अंतर्गत डिफेंस कॉलोनी में एक किराए के मकान पर रहती है। इस प्रकरण में तत्काल दिनांक 14.03.2025 को थाना टीलामोड़ पर वादिया की लिखित तहरीर के माध्यम से अपनी मम्मी की हत्या पिता अनिल शर्मा द्वारा करने के सम्बन्ध में धारा 103(1) बीएनएस में अभियोग पंजीकृत कर तत्काल पुलिस टीमों का गठन किया गया। दिनांक 14.03.2025 को ही थाना टीलामोड़ पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर हत्या की घटना कारित करने वाले अभियुक्त अनिल शर्मा पुत्र हरिशचन्द्र शर्मा निवासी बोदला थाना जगदीशपुरा आगरा हाल निवासी- बी 35/2 कृष्णा विहार कुटी भोपुरा थाना टीलामोड़ गाजियाबाद उम्र करीब 47 वर्ष को करनगेट गोल चक्कर के पास से गिफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त अनिल शर्मा पुत्र हरिशचन्द्र शर्मा उपरोक्त के विरुद्ध पंजीकृत अभियोग में आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः- गिरफ्तार अभियुक्त अनिल शर्मा पुत्र हरिशचन्द्र शर्मा उपरोक्त से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आए कि ने मृतका रेनू शर्मा अभियुक्त अनिल की तीसरी पत्नी थी। अभियुक्त व उसकी पत्नी का बेटी रोशनी शर्मा की शादी को लेकर विवाद रहता था कि बेटी रेनू शर्मा अपनी शादी गैर बिरादरी में कर रही थी। इसी बात को लेकर दिनांक 17.02.2025 को अभियुक्त झगडा करके चला गया व अपनी बेटी की शादी में दिनांक 27.02.2025 को अभियुक्त सम्मलित नही हुआ। इसी बात को लेकर मनमुटाव चल रहा था। दिनांक 13.03.2025 पर होली का त्योहार होने के कारण अभियुक्त रेनू शर्मा को मनाने के प्रयास में रात्रि में काल कर मिलने के लिये डिफेन्स कॉलोनी ग्राउन्ड में बुलाया लेकिन उसने आने से मना कर दिया फिर फिर डिफेन्स कॉलोनी ग्राउन्ड में पहुच गया और वही से रेनू शर्मा को कॉल की और बहुत ज्यादा खुशामद की फिर रेनू शर्मा ग्राउन्ड में आ गयी फिर दोनों वही पर बैठकर बात करने लगे। अभियुक्त ने रेनू शर्मा को काफी समझाने का प्रयास किया कि आज होली का त्योहार है सब बातों को भूल कर हम सब अब एक साथ रहेंगे लेकिन रेनू शर्मा ने कहा कि तुम मेरी बेटी रोशनी की शादी में शामिल नही हुये, मैं तुम्हे माफ नही कर सकती। मैं तुम्हारे सम्बन्धों पर थूँकती हूं, किसी भी कीमत पर तुम्हारे साथ नही रहूंगी काफी खुशामद के बाद भी वह लगातार उक्त बातों को दोहराती रही फिर अभियुक्त को अचानक गुस्सा आ गया और अभियुक्त अनिल ने उसे एक दम कोई मौका दिये बिना जमीन पर ही गिरा लिया और उसके गले में पडी चुन्नी से ही उसका गला घोट दिया चुन्नी को अभियुक्त जब-तक खीचता रहा जब-तक वह मर नही गयी और रेनू की मौत का विश्वास हो जाने पर गला घोटने में प्रयोग की गयी चुन्नी को रेनू के गले में ही लिपटी छोड़कर वहा से चला गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता :-

अनिल शर्मा पुत्र हरिशचन्द्र शर्मा निवासी बोदला थाना जगदीशपुरा आगरा हाल निवासी- बी 35/2 कृष्णा विहार कुटी भोपुरा थाना टीलामोड़ गाजियाबाद उम्र करीब 47 वर्ष।

बरादमगी का विवरणः-

- हत्या में प्रयुक्त चुन्नी

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त के आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना टीलामोड़ पुलिस टीम।